न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील सख्या–883/2016

1–लच्छा पुत्र श्री सोन्या जाति मीणा निवासी ग्राम निमोरा ढाणी ठेलडी की, पोस्ट बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर **(मृतक)**

1/1–रामरतन

1/2–कैलाश

1/3–रामप्रकाश

1/4–सीताराम

1/5–मदनलाल

पुत्रान स्व0 लच्छा

1/6–रमेश पुत्र स्व0 रामजीलाल पौत्र स्व0 लच्छा

1/7–राकेश पुत्र स्व0 रामजीलाल पौत्र स्व0 लच्छा

1/8–मंगली बेवा लच्छा

समस्त जातियान मीणा निवासीगण–ढाणी ठेलडी की, ग्राम–निमोरा पोस्ट–बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज0।

–अपीलांट/अप्रार्थी–

बनाम

1–नाथू लाल पुत्र श्योजी जाति मीणा

2–गोविन्दा

3–मंगला

पुत्रान सोन्या जाति मीणा निवासी–ग्राम निमोरा ढाणी ठेलडी की पो0 बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर

4–कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभाती लाल जाति मीणा, निवासी–भोन्यावाला मु0 पो0 मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0

5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।

6–उप पंजीयक महोदय, बस्सी जिला जयपुर

7–भारतीय स्टे बैंक जरिये मैंनेजर शाखा बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर

8–एस0 बी0 बी0 जे0 बैंक जरिये मैंनेजर शाखा बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0

9–सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक जरिये मैंनेजर शाखा बस्सी तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज0

–रेस्पोडेन्ट्स–

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1–श्री ज्ञानेश्वर बाढदार अपीलार्थी की ओर से

2–श्री रामबाबू पारीक रेस्पो0 संख्या 01 व 02 की ओर से

3–श्री अशोक शर्मा रेस्पो0 संख्या 03 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20/11/2017**

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी दिनांक 04–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सख्या 01 नाथू लाल पुत्र श्योजी ने एक वाद विभाजन व निषेधाज्ञा का अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध बाबत आराजी खसरा नम्बर–2, 23, 24/1, 24/10 लगायत 24/17, 24/2 लगायत 24/9 कुल किता 19 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा ग्राम निमोरा तहसील बस्सी जिला जयपुर हेतु दायर किया और वाद में खसरा नम्बर 02 में रकबा 10 बिस्वा भूमि का बैचान अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सख्या 01 लगायत 03 द्वारा रेस्पोडेंट सख्या 04 के हक में रकना जाहिर किया और नामान्तकरण रेस्पोडेंट सख्या 04 के नाम खोला जाना जाहिर किया व इसके अलावा शेष भूमि में रेस्पोडेंट सख्या 01 वादी का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट सख्या 02 व 03 का 1/2 हिस्सा व अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना जाहिर करते हुए और विधिवत विभाजन न होना कहते हुये आपसी मनब्ट के अनुसार अपने हिस्से के अनुसार काश्त करना जाहिर किया। प्रतिवादी द्वारा हिस्से के अनुसार उपयोभग में बाधा डालने के कारण विभाजन का दावा करना आसश्यक हुआ, इसलिये मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में हिस्से के अनुसार विभाजन करने की व पर्चा लगान आदि कायम करने की प्रार्थना की।अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04/07/2016 द्वारा प्रकरण में विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई,जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलान्ट /प्रतिवादी ने वाद में अपना वादौत्तर प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट किया कि खसरा नम्बर 02 में रकबा 10 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी सख्या 04 को विक्रय की गई है,वह ग्राम खेरी के काकड से लगती हुई हैऔर उक्त विक्रय के आधार पर संपूर्ण रकबा खसरा नम्बर 02 का प्रतिवादी सख्या 04 के नाम दर्ज हो गया, शेष भूमि जो वादी/रेस्पोडेंट व अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंट के शामलात में है उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मनबट कर रखा है ओर चार हिस्सों में सडक से लगते भू–भाग पर सहमति व मनबट से विभाजन कर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट प्रतिवादी सख्या 03 उपरोक्त भूमि में उत्तरी तरफ की सीमा के पास सडक से लगती हुई भूमि उत्तर से दक्षिण पर काबिज है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 24/1, 24/7 से 24/10 में जो पश्चिमी सीमा से लगती हुई है में अपने रिहायशी मकान बना रखे है व खसरा नम्बर 24/7 व 24/8 में वादी व अपीलान्ट का शामलाती मकान है और शेष भूमि को समान्तर भाग में पूर्व से पश्चिम पट्टी के रूप में बांट रखी है। अपीलान्ट प्रतिवादी ने कब्जे के अनुसार वादी/रेस्पोडेंट व अन्य रेस्पोडेंट जिस प्रकार काबिज थे उसका एक नजरी नक्शा भी अपने वादौत्तर के साथ प्रस्तुत किया और उस अनुसार विधिवत विभाजनकर खाता लगान का अलग निर्धारण करने के लिए अपनी सहमति जाहिर की।मिन प्रतिवादी अपीलान्ट ने जो कदीमी बंटवारा मनबट के आधार पर हो रखा है उस अनुसार बंटवारा कराने के लिए कभी इंकार नहीं किया है तथा प्रतिवादी सख्या 06 लगायत 9 को गलत फरीक बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की और पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 21/01/2016 को रखी। पत्रावली जवाब के लिए चल रही थी और पत्रावली को दिनांक 04–07–2016 को कैम्प में रखी और अपीलान्ट ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार विभाजन के लिए अपनी प्रार्थना– [redacted] की।

अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेशिका दिनांक 04–07–2016 को लिखी है उसमें पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अनुसार वाद निर्णय करना जाहिर किया है और विस्तृत निर्णय अलग से लिखना जाहिर किया है जब कि जो विस्तृत निर्णय लिखा गया है वह अपीलान्ट को नाजायज लाभ देने की गरज से गलत रूप से लिखा गया है। दिनांक 04–07–2016 को कैम्प में अदालत द्वारा यह जाहिर किया था कि आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार निर्णय किया जायेगा और इसलिए अपीलान्ट ने दिनांक 28–07–2016 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिया और दिनांक 04–08–2016 को नकल देने की तिथी निर्धारित की लेकिन नकल प्रतिलिपि दिनांक 04–10–2016 को तैयार की गई है।इस दौरान अपीलान्ट ने जब निर्णय के बारें में जानकारी चाही तो निर्णय नहीं लिखा जाना जाहिर किया और जब दिनांक 04–10–2016 को नकल मिली तो राजस्व अभियान के तहत दिये गये वादौत्तर व आर्डरशीट के विपरीत निर्णय लिखा गया है और बंटवारा किया गया है। अपीलान्ट के कब्जे की भूमि रेस्पोडेंट के खाते में लगा दी और अपीलान्ट को उसके कब्जे से वंचित कर दिया गया और जो निर्णय दिनांक 04–07–2016 को लिखना दर्शाया गया है वह वास्तव में दिनांक 04–07–2016 को न लिखा जाकर बाद में लिखा गया है और दिनांक 04–07–2016 दर्ज कर दी गई है और केवल वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 गोविन्दा की आपसी सहमति के आधार पर जो बंटवारा प्रस्तुत किया गया है वह सरासर अवैधानिक है।अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अपनी कोई सहमति राजस्व अभियान के तहत मकानों के सामने आने वाली भूमि का हिस्सा मिलने के लिए नहीं दी थी बल्कि जिस ढंग से मकानों पर काबिज है उन सब का अपने वादौत्तर के साथ नजरी नक्शा अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया था।भूमि का जो विभाजन किया गया है वह कब्जे के अनुसार नहीं किया गया। खसरा नम्बर 23, 24/2, 24/3 व 24/6 व 24/5 व उसके आगे की भूमि जो सडक से लगवा है एवं खसरा नम्बर 25 नले से दक्षिणी तरफ सीवजोड है उस पर अपीलान्ट ने अपना कब्जा बताया था तथा जो मकान बने हुये है उनकी सीमायें अलग है और नक्शे में भी खसरा नम्बर 24/1, 24/7

लगायत 24/10 की अलग से सीमा दर्ज कर रखी है जो नजरीनक्शे में स्पष्ट की है और उसी अनुसार जो–जो मकान शामलात है और जो जो अलग मकान थे उनको दर्शित किया हुआ था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने यह सब कार्यवाही मनमाने तरीके से की है।कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04–07–2016 को प्रस्तुत करना बताया है जब कि उस रोज कोई कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई बल्कि यही कहा गया था कि कब्जे के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट बना दी जायेगी लेकिन वादी व गोविन्द नारायण ने मिलकर सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से कराई है। कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसमें गोविन्दा, नाथू लाल व लच्छा का कब्जा होना तो दर्शाया है लेकिन मंगला पुत्र सौन्या का कोई कब्जा नहीं दर्शाया है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट में अलग–अलग से विभाजन किया गया है।इससे स्पष्ट है कि सारी कुर्रेजात रिपोर्ट कार्यवाही बदनीयती से बाद में की गई है। यदि कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04–07–2016 को आती और अपीलान्ट के समक्ष आती तो अपीलान्ट अपने वादौत्तर के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार अवश्य आपत्ति करता। लेकिन सारी कार्यवाही अपीलान्ट को धोखे में रखकर की गई है। शामलाती मकान आराजी खसरा नम्बर 24/7 में है जिसको गोविन्दा पुत्र सौन्या अकेले ने अपने नाम लगा लिया और खसरा नम्बर 24/1 का मकान भी गोविन्दा ने अपने नाम लगा लिया और जो लच्छा का मकान नम्बर 24/9 में नजरी नक्शे में दर्शाया था वे मंगला को दे दिया। खसरा नम्बर 24/1 व खसरा नम्बर 24/7 लगायत 24/10 पहाड की तलहटी की भूमि है जो अपीलान्ट को जानबूझकर दी गई है।जब अपीलानट ने अपना वादौत्तर प्रस्तुत करते हुये नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है और उसी अनुसार बंटवारा चाहा था तो इससे स्पष्ट है कि राजस्व अभियान में कोई सहमति अपीलान्ट ने नहीं दी थी बल्कि नजरी नक्शे के अनुसार विभाजन चाहा था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू को नजरअंदाज किया है। यह प्रकरण राजस्व लोक अदालत के अधीन भी नहीं आता था बल्कि इसका निर्धारण तनकी बनाकर किया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू को नजरअंदाज कर निर्णय देने में सरासर गलती की है।अपीलांट को ज्यादातर पहाडी तलहटी व बजड भूमि दी गई है, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय लोक अदालत की भावना के

विपरीत वादी व गोविन्दा के साजिशी कारनामें के आधार पर कब्जे काश्त के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5— अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि को वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपसी सहमति एवम् मनबट के आधार पर बांट रखा है तथा सभी बराबर–बराबर हिस्सों मे सडक पर लगते भू–भाग पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।विभाजन के अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 03 उत्तरी तरफ की सीमा की तरफ नाले के पास की 1/4 हिस्से की सडक से लगती भूमि पर काबिज है उसके पश्चात् मंगला प्रतिवादी संख्या 02 की भूमि है, मंगला के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 गोविन्दा की भूमि है तथा दक्षिणी सीमा के लगती हुई वादी/रेस्पो0 संख्या 01 की भूमि है। जवाब के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 21/01/2016 को नियत की थी।पत्रावली जवाब के लिए चल रही थी तथा दिनांक 04/07/2016 को कैम्प मे रखा गया तथा कैम्प में अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार विभाजन के लिए प्रार्थना की।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/07/2016 की आदेशिका में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाद निर्णय करना जाहिर किया गया है जबकि वह जवाब दावे की मंशा के विपरीत है। अपीलांट द्वारा दिनांक 28/07/2016 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 04/08/2016 नकल देने की तिथि निर्धारित की लेकिन नकल दिनांक 04/10/2016 को दी गई है। इससे स्पष्ट है कि निर्णय बाद मे लिखा गया है तथा तिथि 04/07/2016 अंकित की गई है। मौके कब्जे के विपरीत विभाजन किया गया है।अपीलान्ट को पहाडी की तलहटी की भूमि दी है तथा आवासीय मकान भी उलट पुलट दिये गये है। अपीलाधीन

निर्णय महज वादी व गोविन्दा को नाजायद लाभ देने की गरज से पारित किया गया है।जो निरस्त फरमाया जावे।

6— अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 व 02 द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उचित तौर पर तथा मौके कब्जे के अनुसार सरस नरस के आधार पर पारित की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। वास्तविक विवाद अपीलांट एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 03 मंगला के बीच में है। अपील खारिज फरमाई जावे।अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उचित तौर पर पारित की गई है। अपील खारिज फरमाई जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 01/12/2015 से जवाब दावा हेतु विचाराधीन थी तथा दिनांक 21/01/2016, 21/04/2016, 21/06/2016 को कोई कार्यवाही नहीं होकर दिनांक 04/07/2016 को कैम्प न्याय आपके द्वार में पंचायत समिति बस्सी में रखी गई। दिनांक 04/07/2016 को ही अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में अंकित किया गया है कि "पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी का वाद निर्णित किया गया एवम् अंतिम डिक्री किया गया।" पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र संलग्न है जो कैम्प कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसमें अंकित किया गया है कि "वादग्रस्त भूमि में सब पक्षकार के मकान के सामने आने वाली रोड की भूमि का हिस्सा सबको हिस्से अनुसार मिले जिससे हम सब सहमत है।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि "उक्त प्रार्थना पत्र पर सभी को सुनने के पश्चात् राजस्व लोक अदालत में मौके पर ही तहसीलदार बस्सी को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के अनुसार कुर्रेजात व नक्शे भेजने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार बस्सी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कुर्रेजात व नक्शे बनाकर पेश किये। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात व नक्शे पर वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन व पक्षकारान को कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनने के पश्चात् लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए वादी

का वाद तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।" कैम्प में दिये गये प्रार्थना पत्र पर अपीलांट लच्छा के हस्ताक्षर है। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील भी मात्र लच्छा के द्वारा ही गई है अन्य किसी पक्षकार द्वारा कोई अपील नहीं की गई है इसका आशय यह है कि समझौता पत्र के मुताबिक सभी को अपने आवास के समक्ष स्थित कृषि भूमि विभाजन में दी गई है अन्यथा कम से कम दो पक्षकार अवश्य प्रभावित होते। राजस्व लोक अदालतों में कृषि भूमि का तकासमा किया जाना मुख्य उद्धेश्य होता है तथा मौके पर समझाईश द्वारा तकासमा किये जाने का प्रयास न्यायालय के द्वारा किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी इस प्रकार की स्थिति रहना स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त सहमति पत्र पर न्यायालय की समझाईश के उपरान्त हस्ताक्षर किये गये है तथा तदनुसार ही न्यायालय द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बिना कोई वजह हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

8— अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/07/2016 यथावत रखे जाते हैं।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 20/11/2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,

जयपुर